

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 27/2022(2022/00051)

अनवान : -

राकेश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।



वादी

बनाम

1. श्योलाल पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. हनुमान पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. रामनिवास पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. कैलाश पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. सरोज पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण


दावा बाबत घोषणात्मक  
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री चरणसिंह पूनियां वादी  
श्री दलीप सहू प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 31/03/2022

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर सम्वत 2076-79 के वर्तमान खाता संख्या 237/205 के मुर्ब्बा न० 81 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 13, 14/2 इस प्रकार कुल कित्ता 12 की कुल 2.985 हैक्टेयर बाराणी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 156/84 के मुर्ब्बा न० 3 के किला न० 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मुर्ब्बा नम्बर 4 के किला न० 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 इस प्रकार कुल कित्ता 28 की कुल 4.807 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 85/81 के मुर्ब्बा न० 90 के किला न० 5, 6, 15 इस प्रकार कुल कित्ता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

  
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते हैं। वाद भूमि पहले वादी के दादा बस्तीराम की खातेदारी हुआ करती थी। बस्तीराम से विरास्तन वादभूमि जो प्रतिवादी श्योलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी श्योलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस




हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 85/81 के मुरब्बा न० 90 के किला न० 5, 6, 15 इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

### क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर सम्वत् 2076-79 के वर्तमान खाता संख्या 237/205 के मुरब्बा न० 81 के किला न० 1 ता 4, 7 ता 13, 14/2 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 2.985 हैक्टेयर बाराणी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 156/84 के मुरब्बा न० 3 के किला न० 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मुरब्बा नम्बर 4 के किला न० 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 इस प्रकार कुल किता 28 की कुल 4.807 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 85/81 के मुरब्बा न० 90 के किला न० 5, 6, 15 इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें वादी राकेश व प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल, प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान, प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में अपना सम्पूर्ण हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(शकुंतला चौधरी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)  
R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 - 27 / 2022(2022 / 00051)

अनवान : -

राकेश पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।



वादी

बनाम

1. श्योलाल पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. हनुमान पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. रामनिवास पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. कैलाश पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. सरोज पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री चरणसिंह पूनियां व वकील प्रतिवादी दलीप सहू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 एनटीआर सम्वत 2076-79 के वर्तमान खाता संख्या 237/205 के मुर्ब्बा न0 81 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 13, 14/2 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 2.985 हैक्टेयर बारानी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 156/84 के मुर्ब्बा न0 3 के किला न0 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मुर्ब्बा नम्बर 4 के किला न0 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2 7, 8, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 23, 24, 25/1, 25/2 इस प्रकार कुल किता 28 की कुल 4.807 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता खाला प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 एनटीआर के वर्तमान खाता संख्या 85/81 के मुर्ब्बा न0 90 के किला न0 5, 6, 15 इस प्रकार कुल किता 3 की कुल 0.759 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें वादी राकेश व प्रतिवादी संख्या 1 श्योलाल, प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान, प्रतिवादी संख्या 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक में अपना सम्पूर्ण हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/03/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से



(शकुंतला चौधरी)R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़